

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**आदेश**

उपायुक्त, दुमका के पत्रांक- 347 दिनांक- 18.03.2015 द्वारा श्री अशोक कुमार साह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल दुमका के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप पत्र साक्ष्य सहित अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। श्री साह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में निम्नलिखित आरोप गठित किया गया -

"उपायुक्त, दुमका द्वारा रामगढ़ प्रखण्ड के कार्यों की समीक्षा के दौरान रामगढ़ बाजार परिसर में चल रहे मार्केट कम्प्लैक्स निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि टाटा/सेल स्टील छड़ की जगह स्थानीय छड़ का उपयोग किया गया है। स्थल जाँच के दौरान निर्माण कार्य हेतु रखे छड़ का अवलोकन करने पर पाया गया कि संवेदक द्वारा सलूजा कम्पनी के छड़ का प्रयोग भवन निर्माण कार्य में किया जा रहा है। स्थल पर कार्य कर रहे राज मिस्त्री से पूछताछ करने पर बताया गया कि संवेदक द्वारा यही छड़ उपलब्ध कराया गया है। संवेदक भी स्थल पर मौजूद थे जिनके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि उक्त निर्माण में स्थानीय छड़ों का प्रयोग किया गया है। मेरे द्वारा भी उक्त निर्माण कार्य का दिनांक- 08.03.2015 को जाँच की गई एवं सलूजा गोल्ड ISI पाया गया। उक्त निर्माण कार्य में सरकारी निर्देशों की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता के लिए संवेदक पर ससमय कनीय अभियंता द्वारा कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा समय पर पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण योजना में विसंगति उत्पन्न हो गयी। अगर समय-समय पर इन दोनों के द्वारा निरीक्षण किया जाता तो कार्य एकरारनामा (अनुसूचित दर) के अनुसार ही होता। इस कारणवश संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता पर आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है। "

2. उक्त आरोप की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 3771 दिनांक- 21.07.2015 द्वारा श्री अशोक कुमार साह, कनीय अभियंता के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें उप विकास आयुक्त, दुमका को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. पत्रांक- 25 दिनांक- 17.01.2017 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, दुमका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा किये गये गलतियों के कारण उन्हें सजा मिल चुकी है तथा भुगतान उन्हें अन्तर राशि की कटौती करने के उपरान्त किया गया है। आरोपी पदाधिकारी श्री अशोक कुमार साह द्वारा ही दोषी संवेदक पर FIR दर्ज किया गया है। इस प्रकार श्री साह को आरोप मुक्त किया जा सकता है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं पाया गया कि आरोप से संबंधित निर्माण कार्य में, प्राक्कलन में प्रावधान के अनुसार, टाटा/सेल कम्पनी का छड़ का प्रयोग नहीं किया गया। इस तथ्य की पुष्टि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से होती है। 'कनीय अभियंता द्वारा समय पर पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण योजना में विसंगति उत्पन्न हो गयी' के बिन्दु पर संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी/मंतव्य नहीं दिया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित दण्ड के साथ श्री



अशोक कुमार साह से विभागीय पत्रांक- 2321 दिनांक- 19.05.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई -

(i) तीन वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

5. श्री अशोक कुमार साह के आवेदन दिनांक- 19.06.2017 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई जिसमें पाया गया कि श्री साह द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण को ही दोहराया गया है। अपने बचाव में श्री साह द्वारा कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को स्वीकार किया जा सके।

6. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री साह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकार करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री अशोक कुमार साह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका को निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है :-

(i) तीन वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

7. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

( बिन्दु माधव प्रसाद सिंह )  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : .....राँची/दिनांक .....


प्रतिलिपि :- उपायुक्त, दुमका/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

( बिन्दु माधव प्रसाद सिंह )  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : .....817.....राँची/दिनांक 01-02-18

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अशोक कुमार साह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
1-2-18

( बिन्दु माधव प्रसाद सिंह )  
सरकार के संयुक्त सचिव